हाथ में न जाने देने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन ने दिल्ली में अस्थायी रूप से यह नीति शुरू की है कि पहली सुपुर्दगी और रिफिल की बुकिंग में 22 दिन का अन्तराल हो, फिर भी, उचित मामलों में उपभोक्ता की आवश्कताओं की जांच करने के पश्चात् कम अन्तराल पर भ एल. पी. जी. की बुकिंग की जाती है ।

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डरों के फटने संबंधी रक्षात्मक उपाय

1896. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डरों के फटने के कितने मामले दर्ज कराये गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सिलेण्डरों के फटने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निगम ने इस संबंध में रक्षात्मक उपायों के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए राज्यों में शिविरों का आयोजन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार ऐसे कितने शिविर आयोजित किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन ने एल.पी.जी. सिलिण्डरों के फटने के 20 मामलों की सूचना दी है ।

(ख) एल. पी. जी. सिलेण्डरों के फटने के मुख्य कारण थे :—

(1) एल.पी.जी. का रिसाव

(2) दोषपूर्ण रबड़ ट्यूब

(3) खराब उपकरण

(4) उपभोक्ताओं की लापरवाही आदि ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन के द्वारा एल.पी.जी. वितरकों को इस बात के अनुदेश हैं कि वे अपने उपभोक्ताओं के समूहों के लिए कम से कम दो सुरक्षा क्लिनिक प्रति वितरक आयोजित करें। हालांकि राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1986–87	1987–88	1988–89 (अक्तूबर 88 के अंत तक)
1064	1954	913

दुकानदारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई में कदाचार

1897. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक गैस कनेक्शन के गैस सिलेन्डरों की गैस खत्म हो जाने पर दुकानदार गैस-वितरकों से गैस की सप्लाई प्राप्त करने के बजाय जो कि अधिक महंगी होती है, गैस-सिलेंडर पहुंचाने वाले किसी अन्य व्यक्ति अथवा गोदाम प्रहरियों से गैस की सप्लाई प्राप्त करते हैं, इस तरह से गैस-वितरक से गैस न लेकर के 25–30 रुपये की बचत करते है, जिसकी जानकारी तेल कंपनियों को है लेकिन इसे रोकने के लिए कंपनियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार इस विषय में कदाचार को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) हालांकि, इस संदर्भ में कोई खास उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है, फिर भी घरेलू उपभोक्ताओं के निमित्त के एल० पी० जी० रिफिलों के अप्राधिकृत रूप से अनैतिक तत्वों द्वारा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की तेल कम्पनियों द्वारा तत्परता से जांच की जाती है तथा दोषी पाए गए वितरक के विरूद्ध विपणन अनुशासन नीति-निर्देशों के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

(ख) और (ग) अप्राधिकृत हस्तांतरण को रोकने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा कई उपाय किए गए हैं जैसे गैर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए निहित सिलेण्डरों पर रंगीन धारियां बनाना घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वितरक स्तर पर अलग-अलग रजिस्टरों का रख-रखाव केवल गैर घरेलू उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए अलग वितरण केन्द्र स्थापित करना, गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भिन्न आकार के सिलेण्डरों का इस्तेमाल करना आदि । आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सरकार ने तरल पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण विनियम) आदेश 1988 जारी किया है । अब तक किए उपायों से अनुकूल परिणाम सामने आए हैं ।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धक और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध मामले

1898. श्री ईश दत्त यादव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धक श्री पी० के० पन्होत्रा और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध मामले लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या उक्त प्रबन्धक को पदोन्नत किया जाना युक्तिसंगत है, जबकि यह जांच चल रही है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले पाच वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कितने अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितने मामलों को जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया है, और अब तक की जांच का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि आयोग में अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले लम्बित पड़े हुए है ;

(ङ) यदि हा, तो पदोन्नति के मामले में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और इन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की सम्भावना है ; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है तथा उनके नाम और पदनाम क्या-क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) (क) और (ख) इस मंत्रालय मे अनुपयुक्त छपाई तथा राष्ट्रीय ध्वज के दुरुपयोग और छोटे आकार के 30,000 राष्ट्रीय ध्वजों का छपाई का कार्य देने के लिए टेंडर आमंत्रित करने में दुराशय के बारे मे खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धक श्री पी० के० पन्होत्रा के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) से ता० 10-5-88 को एक शिकायत प्राप्त की थी । इस मामले की जांच कराने के बाद इस मंत्रालय ने उक्त मामले को बन्द कर देने का प्रस्ताव